राष्ट्रसंघ की संविदा (The League's Covenant)

1. परिचय और पृष्ठभूमि

राष्ट्रसंघ से संबंधित अभिलेख बहुत सीमित था और इसमें कुल चार हजार शब्द थे। इस संविदा में कुल **26 धाराएँ** थीं, जिनमें राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों, सदस्यता की अवस्थाओं, संगठन के स्वरूप, दायित्वों आदि का विस्तार से वर्णन किया गया था। राष्ट्रसंघ के मुख्य उद्देश्यों को उसकी भूमिका या प्रस्तावना (Preamble) में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया था।

2. राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना (संविदा का स्वरूप)

संविदा की शुरुआत इस प्रकार के समझौते से हुई थी:

> "समझौता करने वाले उच्च पक्ष, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सुरक्षा बनाये रखने के लिए, उत्तरदायित्व स्वीकार करके तथा युद्ध के प्रति आस्था न रखकर, राष्ट्रों के मध्य स्पष्ट, उचित व आदरणीय सम्बन्धों की स्थापना करके, अन्तर्राष्ट्रीय कानून के समझौतों की सरकारों के व्यवहार के उचित नियमों के रूप में दृढ़तापूर्वक स्थापना करके, संगठित जातियों के पारस्परिक व्यवहार में सन्धि के सम्पूर्ण दायित्वों के लिए न्याय व सावधानीयुक्त सम्मान रख कर, राष्ट्रसंघ के इस संविधान अथवा प्रतिज्ञापत्र या प्रतिश्रुति से सहमत होते हैं।"

3. राष्ट्रसंघ के मुख्य उद्देश्य

उपरोक्त संविदा से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना के पीछे मुख्य रूप से तीन उद्देश्य थे:

- **अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की स्थापना करना:** विश्व में आपसी लड़ाइयों को रोकना और शांति बनाए रखना।
- **भौतिक व बौद्धिक सहयोग को प्रोत्साहन:** विश्व के राष्ट्रों के बीच भौतिक और बौद्धिक सहयोग को बढ़ाना जिससे मानव जीवन को सुखी और बेहतर बनाया जा सके।
- **पेरिस सन्धि का क्रियान्वयन:** पेरिस सन्धि को लागू करना तथा उस सन्धि द्वारा स्थापित की गई सम्पूर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना।

4. संविदा की धारा 1 से 7: सदस्यता और संगठन

राष्ट्रसंघ की संविदा की कुल 26 धाराओं में से पहली सात धाराओं (धारा 1 से 7) में संघ की सदस्यता तथा उसके विभिन्न संगठनों के गठन और स्वरूप का वर्णन किया गया था। इसमें यह तय किया गया था कि देश किस प्रकार इसके सदस्य बन सकते हैं।

5. धारा 8 से 17: निशस्त्रीकरण, सामूहिक सुरक्षा और विवादों का समाधान

यह भाग राष्ट्रसंघ की संविदा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था:

- **निशस्त्रीकरण (धारा 8 और 9):** ये धाराएँ हथियारों को कम करने (निशस्त्रीकरण) से संबंधित थीं।
- **सामूहिक सुरक्षा और विवाद समाधान (धारा 10 से 17):** इन धाराओं में सामूहिक सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था थी। राष्ट्र अपने आपसी विवादों को बातचीत, मध्यस्थता (Mediation), पंच फैसले (Arbitration) या न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाएँगे।
- **आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध:** यदि कोई आक्रामक राष्ट्र नियमों का उल्लंघन करता था, तो उसके विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध (Economic Sanctions) और सैन्य कार्रवाई का प्रावधान था।
- **युद्ध पर नीति:** युद्ध को पूरी तरह गैर-कानूनी घोषित नहीं किया गया था, कुछ विशेष परिस्थितियों में युद्ध को उचित भी माना गया था।
- **धारा 16 के तहत विशेष प्रावधान:** यदि कोई देश आक्रामक हो जाता है, तो राष्ट्रसंघ अन्य सभी सदस्य राष्ट्रों को यह बाध्य कर सकता था कि वे आक्रान्ता देश के साथ सभी प्रकार के आर्थिक और व्यक्तिगत संबंध तोड़ लें। परिषद यह सिफारिश कर सकती थी कि आक्रान्ता के विरुद्ध सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रयोग किया जाए।

6. धारा 18 से 26: संधियाँ, मैंडेट प्रणाली और अन्य प्रावधान

संविदा के अंतिम भाग में अंतरराष्ट्रीय संधियों, सामाजिक कल्याण और अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है:

- **अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ (धारा 18 से 21):** ये धाराएँ संधियों के पंजीयन (Registration), प्रकाशन, संशोधन और वैधता से जुड़ी थीं। गुप्त संधियों की पुरानी प्रणाली समाप्त कर दी गई और अब सदस्य केवल ऐसी संधियाँ कर सकते थे जो संविदा की भावना के अनुकूल हों।
- **हथियारों पर नियंत्रण:** सदस्य देशों से कहा गया कि “वे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के निमित्त ही शस्त्र रखें।”
- **मुनरो सिद्धांत और अन्य धाराएँ:** धारा 21 में प्रसिद्ध 'मुनरो सिद्धांत' को मान्यता दी गई। धारा 22 में 'मैंडेट प्रणाली' (Mandate System) की व्यवस्था की गई थी।
- **कल्याणकारी कार्य (धारा 23):** इसके अंतर्गत श्रमिक कल्याण, बाल कल्याण, खतरनाक रोगों पर नियंत्रण, और नारी-व्यापार (Human Trafficking) निषेध जैसे मानवीय प्रावधान किए गए थे।
- **अन्य सम्बन्ध और सुधार (धारा 24 से 26):**
  - **धारा 24:** विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा राष्ट्रसंघ के बीच आपसी संबंधों का वर्णन करती थी।
  - **धारा 25:** 'रेड क्रॉस' (Red Cross) के संबंध में प्रावधान रखती थी।
  - **धारा 26:** उस प्रक्रिया का वर्णन करती थी जिसके माध्यम से राष्ट्रसंघ की संविदा में संशोधन किया जा सकता था।